(वाद संख्या–**5141/14**)

19.12.2019

परिवादी, महमद अपने भतीजा मो0 ईस्तखार के साथ उपस्थित हैं।

अचलाधिकारी, अमौर, जिला पूर्णिया की ओर से आयोग के दिनांक 16.05.2018 के आदेश के आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी का मौजा धुरपैली, थाना संख्या 211, खाता संख्या 324, खेसरा संख्या 881 अंश से कुल 6.94 एकड़ के स्थान पर नक्शा रकवा कम होने के फलस्वरूप 5.52 एकड़ जमीन अंचल अमीन के द्वारा नापी कर चिह्नित कर दिया गया है जिसका समर्थन परिवादी के द्वारा आज आयोग के समक्ष किया जा रहा है।

परिवादी का कथन है कि वह इस नापी से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसे 6.94 एकड़ जमीन के स्थान पर मात्र 5.52 जमीन ही उपलब्ध कराया गया है। अभी भी उसका 1.42 एकड़ जमीन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अंचलाधिकारी के द्वारा आयोग के आदेश के आलोक में दिनांक 10.05.2018 को अचंल अमीन के द्वारा कई ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थल पर नापी करती गयी। स्थानीय लोग तथा स्वयं परिवादी भी नापी से संतुष्ट थे तथा उन सबों में नापी से संबंधित प्रतिवेदन पर अपना–अपना हस्ताक्षर भी किया गया ।

प्रस्तुत मामला एक भूमि विवाद प्रतीत होता है। इसका सम्यक् निराकरण सिविल न्यायालय से ही हो सकता है। परिवादी अगर नापी से असंतुष्ट है तो वह सक्षम सिविल न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के स्तर पर एक सद्भावनापूर्ण भूमि विवाद पर कोई निर्णय दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त के आलोक में प्रस्तुत मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>